

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रेस नोट

जिला अलवर एवं धौलपुर में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव, 2021 – कार्यक्रम की घोषणा

अनुच्छेद 243K (Article 243K) एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी का एवं निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है।

आयोग द्वारा 27 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। आम चुनाव से शेष रहे 6 जिलों (अलवर, बारां, धौलपुर, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर) में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने हेतु निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2021 के सदर्थ में तैयार है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन MA No. 2023/2020 in MA 1072/2020 in SLP(C) No. 30471/2019 में दिनांक 19.07.2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 जिलों (अलवर, बारां, धौलपुर, करौली एवं कोटा) के आम चुनाव दिनांक 31.10.2021 तक संपन्न कराने के निर्देश प्रदान किए हैं किन्तु जिला बारां, कोटा एवं करौली में नगरपालिका गठन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 को डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7930/2021 एवं अन्य 4 समान याचिकाओं से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौति दी गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में दिनांक 28.07.2021 को जारी आदेश से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर स्थगन प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन की अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 पर स्थगन प्रदान किए जाने से इन जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित हो गए हैं, जिसके कारण इन तीन जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने में विधिक अडचन उत्पन्न हो गई है।

श्रीगंगानगर जिले की नगरपालिका गठन से प्रभावित पंचायत समिति सादुलशहर के लिए भी आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करा ली गई थी, किन्तु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 20.07.2021 को अधिसूचना जारी कर नवगठित नगरपालिका लालगढ जाटान से सैनिक छावनी क्षेत्र में सम्मिलित चार ग्रामों को नगरपालिका क्षेत्र से पृथक कर दिया गया। चूंकि नगरपालिका से पृथक किए गए क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित किया जाना है, अतः इन्हें पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः निर्धारण तथा पदों के पुनः आरक्षण की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

अतः जिला बारां, कोटा एवं करौली में नगरपालिका गठन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन होने एवं श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति लालगढ जाटान ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः निर्धारण एवं आरक्षण में परिवर्तन संभावित होने तथा मामला राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित होने के कारण आयोग द्वारा वर्तमान में इन चारों जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव कराना संभव नहीं है।

27.09.2021

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन MA No. 2023/2020 in MA 1072/2020 in SLP(C) No. 30471/2019 में दिनांक 19.07.2021 को पारित आदेश की अनुपालना में आयोग द्वारा जिला अलवर एवं धौलपुर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। ये आम चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे। आम चुनाव से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:-

● चुनाव कार्यक्रम

चरणवार चुनाव कार्यक्रम परिशिष्ट "अ" एवं चरणवार पंचायत समितियां का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। आयोग द्वारा जारी उक्त चुनाव कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट <http://sec.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

● मतदाता सूची

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव हेतु तैयार की गई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.04.2021 एवं नगरपालिका गठन से प्रभावित पंचायत समितियों के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.08.2021 को हो चुका है। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय में निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। ये मतदाता सूचियां अर्हता तिथि दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार की हुई हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के लिए तैयार की गई अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित जिले अलवर एवं धौलपुर में कुल 27 लाख 02 हजार 07 सौ 91 मतदाता पंजीकृत हैं। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार इन मतदाताओं का वर्गीकरण इस प्रकार है:-

पुरुष	महिला	थर्ड जेण्डर	कुल
1441738	1261045	08	2702791

● वार्डों एवं मतदान केन्द्रों का विवरण

इन जिलों के लिए आज घोषित किए गए चुनाव में 72 जिला परिषद सदस्य, 492 पंचायत समिति सदस्य, 2 जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख एवं 22 प्रधान/उप प्रधानों के लिए आम चुनाव होना है।

कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा अब प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 की गई है। पूर्व में एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित थी। प्रत्येक बूथ पर 1000 मतदाताओं की संख्या के अनुसार उक्त दो जिलों की 760 ग्राम पंचायतों में कुल 3641 मतदान बूथ स्थापित किए जायेंगे।

● ई.वी.एम. से मतदान

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाएगा। आयोग द्वारा अलवर एवं धौलपुर जिलों को इन आम चुनावों हेतु ईवीएम उपलब्ध करा दी गई हैं एवं आम चुनाव में उपयोग में आने वाली ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच भी हो चुकी है।

● मतदान का समय

मतदान का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक नियत किया गया है।

दिनांक

● चुनाव कार्य हेतु कार्मिकों का नियोजन एवं प्रशिक्षण

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन संपादित कराने हेतु मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 25 हजार कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु कार्मिकों का रेण्डमाइजेशन (Randomization) सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना हेतु दलों का गठन किया जाएगा।

● मतदाताओं की पहचान

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उक्त 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं। अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान के समय उक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लायें, जिससे मतदान कार्य सुगमता से शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्षरूप से सम्पन्न हो सके।

● मतदाता सहायता

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि यथा मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान बूथ आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए मतदाता द्वारा मोबाईल नम्बर 7065051222 पर SEC VOTER अंकित कर स्पेस के पश्चात् Epic No अंकित कर SMS भेजने पर SMS के माध्यम से उसकी प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जायेगा।

● चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान, मतगणना चुनाव संबंधी अन्य कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए आवश्यकतानुसार एक या अधिक पर्यवेक्षकों को नियोजित किया जाएगा। ये पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ एवं चयनित तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल या इससे उच्चतर वेतन श्रृंखला के अधिकारी होंगे। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके इस हेतु पर्यवेक्षकों द्वारा चुनाव के प्रत्येक स्तर पर मुख्य रूप से मतदान एवं मतगणना कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाइन की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी।

● अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1,50,000/- एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000/- रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की हुई है।

चित्रा

27.09.2021

लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत निगरानी रखेगा।

● दिव्यांगजन (Person with Disabilities) मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा

आयोग द्वारा दिव्यांगजन के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों में ऐसे मतदाताओं की मैपिंग करने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोड़ने के निर्देशों सहित मतदान केन्द्र पर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश शामिल हैं।

● चुनाव नियन्त्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना

आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाता है। आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। आयोग कार्यालय में स्थापित यह नियन्त्रण कक्ष प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कार्यशील रहेगा। आयोग कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाषों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	0141-2227420
2.	0141-2227421
3.	0141-2227423

● कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की FLC, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, सवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन जारी की गई है। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों की भी पूर्ण रूप से पालना करें।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश प्रदान किए गए हैं कि इन आम चुनाव में चुनाव कार्य/मतदान दलों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज दिनांक 12.10.2021 से पूर्व लग चुकी हो।

● आदर्श आचरण संहिता

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उक्त अलवर एवं धौलपुर जिले के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। आयोग द्वारा राज्य सरकार को आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

27.09.2021

जिला अलवर एवं धौलपुर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।

चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में कार्मिकों/अधिकारियों की आवश्यकता होगी, अतः

1. अलवर एवं धौलपुर में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
2. चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेश, जो संबंधित विभाग की वेबसाईट पर दिनांक 27.09.2021 को सांय 6.00 बजे तक प्रदर्शित (Upload) कर दिए गए हों, की अनुपालना में अलवर एवं धौलपुर जिले में स्थानान्तरण पर आने वाले कार्मिकों को दिनांक 03.10.2021 तक रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति होगी।
3. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् इन जिलों से किसी भी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उसका स्थानान्तरण चुनाव कार्यक्रम से पूर्व का ही क्यों न हो।
4. सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि इन जिलों में आचार संहिता प्रभावी होने की अवधि के दौरान उनके द्वारा ऐसे स्थानान्तरण आदेश भी जारी नहीं किए जाए, जिनमें उन आदेशों को आचार संहिता अवधि की समाप्ति के पश्चात् से प्रभावी होने संबंधी शर्त का अंकन हो। किन्तु यदि इन जिलों से किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना अति आवश्यक समझा जाए तो इस हेतु आयोग की पूर्वानुमति ली जाए।

समस्त अभ्यर्थी, समस्त राजनैतिक दलों, सभी मतदाताओं, आमजन एवं मीडिया से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने एवं कोरोना महामारी के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करते हुए निर्वाचन संपन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करावें।

संलग्नक : 1. परिशिष्ट 'अ' – चुनाव कार्यक्रम।

2. परिशिष्ट 'ब' – चरणवार पंचायत समितियों का विवरण।

आज्ञा से,

चित्रा
27/09/2021

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक: 27.09.2021

क्रमांक: एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2020/ 4745-52

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
6. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

अशोक कुमार जैन
27/09/2021
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2021 – चुनाव कार्यक्रम
(जिला अलवर एवं धौलपुर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु)

क्र.स.	कार्य का विवरण (तीनों चरणों के लिए)	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	04.10.2021 (सोमवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	08.10.2021 (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक (दिनांक 07.10.2021 (गुरुवार) को भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे)
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	09.10.2021 (शनिवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	11.10.2021 (सोमवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	11.10.2021 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	
	प्रथम चरण के लिए	19.10.2021 (मंगलवार)
	द्वितीय चरण के लिए	22.10.2021 (शुक्रवार)
	तृतीय चरण के लिए	25.10.2021 (सोमवार)
7	मतदान की तिथि	
	प्रथम चरण के लिए	20.10.2021 (बुधवार)
	द्वितीय चरण के लिए	23.10.2021 (शनिवार)
	तृतीय चरण के लिए	26.10.2021 (मंगलवार)
8.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
9.	मतगणना (जिला मुख्यालय पर)	29.10.2021 (शुक्रवार) प्रातः 9.00 बजे से

चित्रा
24/09/2021

**जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/प्रधान/उप प्रधान हेतु
चुनाव कार्यक्रम**

क्र.स.	कार्य का विवरण	तिथियां	
10	प्रमुख/प्रधान का चुनाव	30.10.2021 (शनिवार)	
11	उप प्रमुख/उप प्रधान का चुनाव	31.10.2021 (रविवार)	
12	प्रमुख/उपप्रमुख/प्रधान/उपप्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी		
	1	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	2	नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
	4	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
	5	चुनाव प्रतीको का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
	6	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय	अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य
	7	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	सायं 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, जो भी पहले हो

जिला
27/09/2021

परिशिष्ट 'अ'

Revised

STATE ELECTION COMMISSION

SPELL-WISE ZP & PS MEMBER ELECTION PROGRAMME, 2020														
S. No.	District	No. of Const. in Z.P.	Ist Spell			IInd Spell			IIIrd Spell					
			Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths	Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths	Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths
1	ALWAR	49	KOTKASIM	15	28	145	THANAGAZI	19	39	197	UMRAIN	27	33	170
			TIJARA	21	47	238	RAINI	17	26	159	KISHANGARHBAS	27	37	175
			BEHROR	19	32	176	RAIGARH	17	34	168	RAMGARH	31	39	188
			NEEMRANA	19	34	173	GOVINDGARH	21	25	119	MALAKHERA	25	33	141
			MUNDAWAR	25	48	241	LAXMANGARH	21	24	131	BANSUR	23	46	213
							KATHUMAR	25	47	236				
2	DHOLPUR	23	5	99	189	973	6	120	195	1010	5	133	188	887
			DHOLPUR	29	35	156	BARI	25	35	140	BASERI	19	26	106
			RAJAKHERA	25	32	134	SEPAUN	27	39	162	SARMATHURA	15	21	73
		23	2	54	67	290	2	52	74	302	2	34	47	179
	Grand Total	72	7	153	256	1263	8	172	269	1312	7	167	235	1066

No. Z.P. Consty.
72

Panchayat Samiti			
I SPELL		7	
II SPELL		8	
III SPELL		7	
Total		22	

P.S.M. Const.			
Ist SPELL		153	
IInd SPELL		172	
IIIrd SPELL		167	
Total		492	

Gram Panchayat			
I SPEL		256	
II SPEL		269	
III SPE		235	
Total		760	

Polling Booth			
I SPELL		1263	
II SPELL		1312	
III SPELL		1066	
Total		3641	

24.91